



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5966

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18957 वर्ष 2025

अभिषेक प्रताप सिंह

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	लवलेश कुमार शुक्ला
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

सिविल विविध पक्षकार नियुक्ति आवेदन संख्या 2 वर्ष 2025 पर आदेश

1. चूंकि विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए संशोधन आवेदन स्वीकार किया जाता है।
2. तदनुसार, पक्षकार बनने का आवेदन स्वीकार किया जाता है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज के दिन रिट याचिका में आवश्यक पक्षकार नियुक्त करने की प्रक्रिया पूरी की जाए।

याचिका पर आदेश

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री लवलेश कुमार शुक्ला और राज्य प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गया प्रसाद सिंह को सुना गया।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादी संख्या 4 को नोटिस जारी नहीं किए जा रहे हैं।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे प्रतिवादी संख्या 4 की आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 10.11.2011 को बीएसए कार्यालय में सहायक लेखाकार के रूप में नियुक्त किया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हालांकि, 29.03.2025 को याचिकाकर्ता को अवैध रिश्वत लेने के संबंध में कदाचार के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने 29.03.2025 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। 30.03.2025 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर ने याचिकाकर्ता का नाम सूची से हटा दिया।

4. इसी बात पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। 29.03.2025 को कारण बताओ नोटिस का उत्तर देते समय उठाए गए तर्क पर विचार नहीं किया गया है और न ही विभागीय कार्यवाही के दौरान उल्लिखित या संचालित आदेश में इसका उल्लेख किया गया है।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने चाहे जो भी हो, उसने कदाचार किया है, और इसीलिए उसे सूची से हटा दिया गया है और उसे सेवामुक्त कर दिया गया है। हालांकि, उनका कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि समन आदेश को रद्द कर दिया जाए और मामले को अवर न्यायालय में वापस भेज दिया जाए ताकि वह नए आदेश पारित कर सके।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

8. स्पष्टतः, याचिकाकर्ता को 29.03.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब याचिकाकर्ता ने 29.03.2025 को ही प्रस्तुत किया था। हालांकि, आक्षेपित आदेश में याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस प्रावधान के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी है।

9. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(क). प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 30.03.2025 को पारित विवादित बर्खास्तगी आदेश को अपास्त किया जाता है।

(ख) याचिकाकर्ता को नोटिस देने के बाद, मामले को कानून के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेजा जाता है।



10. याचिकाकर्ता की आज की स्थिति यथावत रहेगी और यह उस मामले में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन होगी।

11. तदनुसार, रिट याचिका का **निस्तारण** कर दिया गया है।

9 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.